समाहरणालय औरंगाबाद (बिहार)

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–179/सा0, दिनांक–09.02.2019 द्वारा आगामी लोक सभा आम चुनाव 2019 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत शस्त्रों एवं आपूर्ति की गई गोली का भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक–20 फरवरी 2019 से 9 मार्च 2019 तक निर्धारित किया गया था। भौतिक सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण एवं लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के महत्ता के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–312/सा0, दिनांक–12.03.2019 द्वारा दिनांक–16.03.2019 एवं आदेश ज्ञापांक–331/सा0, दिनांक–25.03.2019 द्वारा दिनांक–27.03.2019 तक अवधि विस्तारित किया गया है। भौतिक सत्यापन कराने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से भी अनुज्ञप्तिधारियों को संसूचित किया गया है, फिर भी शस्त्रों एवं आपूर्ति की गयी गोलियों का भौतिक सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, जो शस्त्रधारियों द्वारा अपने शस्त्रों एवं गोलियों का भौतिक सत्यापन में अभिरूचि के अभाव को दर्शाता है।

उक्त के आलोक में जिला के सभी अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि शस्त्रों एवं आपूर्ति की गयी गोलियों के भौतिक सत्यापन हेतु विस्तारित अवधि दिनांक–27.03.2019 तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्रधारियों को चिन्हित कर उनके शस्त्र को लोक सभा आम चुनाव 2019 की समाप्ति तक के लिए संबंधित थाना में जप्त/जमा कराना सुनिश्चित करें।

ह0
जिला दण्डाधिकारी,
औरंगाबाद

ज्ञापांक 334/सा0, दिनांक– 27.03.2019

प्रतिलिपि:– पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद/दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलपि:– सभी अंचल अधिकारी, औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी थानाध्यक्ष औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.19

जिला दण्डाधिकारी,
औरंगाबाद